विलोपित TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES विलोपित

405

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक / निग0 / छतरपुर / भू–रा / 2017 / 4065

1–भईयन तनय श्री हरिया लोधी
2–रामलाल तनय श्री हरिया लोधी
निवासीगंण ग्राम छापर तहसील व
जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

——— आवेदकगंण

श्री रजनी ... शर्मा
द्वारा आज दि. 30/10/17 को ... प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30.10.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पं०दि० 9-11-17
30/10/17

विरूद्ध

1–मिठइयां तनय स्व0 श्री मुन्नी लोधी
2–जगदीश तनय स्व0 श्री मुन्नी लोधी
3–रतिराम तनय श्री हरदास लोधी
4–सुन्दर तनय श्री हरदास लोधी
5–किशना तनय श्री हरदास लोधी
6–धनीराम तनय श्री हरदास लोधी
निवासीगण ग्राम छापर तहसील
व जिला छतरपुर म0प्र0

——— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.9.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर के प्र0क0 34 / अपील / अ–6अ / 2015–16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

निगरानी आवेदन–पत्र अंदर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, अनावेदक द्वारा अपर तहसीलदार महोदय छतरपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 111 / अ–6 / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 30.9.08 के विरूद्ध श्रीमान्

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4065 भईयन विरूद्ध मिठइयां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 34/अपील/अ-6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-10-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31-01-19
सदस्य